(c) Since the Vice-Principals (incharge) of the Evening Colleges are not the Principals, the question of denying them the pecuniary benefits permissible to the Principals of the colleges does not arise.

Representative of Associations not Included in the Committee

2481. SHRI ISH DUTT YADAV : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether a KVs Committee to monitor Special Dispensation Admission in KVs has recently been constituted ; and

(b) the reasons for not giving place to any representative of the associations of employees in this Committee ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) Yes Sir.

(b) It is not found necessary to associate the employees representatives in the Committee to monitor Special Dispensation Admissions. They have been given representation in appropriate forums like, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Board of Governors, Joint Consultative Machinery etc.

विश्वविद्यालयों को अनुदान

2482. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों का विश्वविद्यालयवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा उपस्कर की खरीद, कर्मचारियों की भर्ती, शैक्षिक भवनों तथा छात्रावासों के निर्माण के लिए सभी पात्र विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । आयोग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है । 1991-92 के दौरान पात्र कालेजों को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	1991-92 संस्वीकृत में योजनागत तथा योजनेतर अनुदान
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	आंध्र विश्वविद्यालय	192.36
2.	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	0.37
3.	आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय	11.64